न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुण्डावर
जिला–खैरथल तिजारा

पीठासीन अधिकारी : अमर सिंह खारडिया, आर.जे.एस.

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 264/2015, पुलिस थाना मुण्डावर

नियमित फौज० प्रकरण संख्या : 23/76/2020

सी०आई०एस० संख्या : 1598/2022

सी०एन०आर० संख्या : RJKA120014052022

बनाम

गीता देवी पत्नी सूरजभान, निवासी– सोडावास थाना मुण्डावर, जिला–खैरथल तिजारा

अपराध अन्तर्गत धारा 420, 465, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता

उपस्थित:

1. श्री आकाश मीणा सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री सरजीत कुमार, अभियुक्ता की ओर से।

निर्णय **दिनांक: 18.06.2026**

1. अभियोजन कहानी के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी मदनसिंह ने एक परिवाद प्रदर्श पी0–01 अभियुक्ता गीता देवी, रमेशचंद व तत्कालीन रिटनिग अधिकारी न्यायालय में इस आशय की पेश किया कि ग्राम पंचायत सोडावास से पंचायत चुनाव 2015 में सरपंच पद के लिये मुलजिमा श्रीमति गीतादेवी पत्नी सूरजभान, निवासी सोडावास ने दिनांक 23.01.25 को नाम निर्देशन पत्र पेश किया था, जिसके साथ राज्य सरकार के 8 वी पास उत्तीर्ण अर्हता की अनिवार्यता हेतु गीता देवी ने सन 1988 में 8 वीं उत्तीर्ण की फर्जी टी.सी दुर्गादेवी नलवाटी हाई स्कूल निजामपुर हरि० की रमेशचंद अध्यापक एवं बीएलओ से साजबाज होकर फर्जी टी.सी की कूटरचना करके साथ संलग्न की है, जबकि गीतादेवी की सन 1985–86 में ग्राम सोडावास में सूरजभान के साथ शादी हो गयी थी और शादी के बाद ससुराल सोडावास में ही रही है। गीतादेवी ने फर्जी टी.सी को असल के रूप में उपयोग लेते हुये निर्देशन पत्र के स्वघोषणा प्रपत्र में अपने आपको 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होने का मिथ्या तथ्य दर्ज किया है। रिटनिंग अधिकारी को अंक तालिका पेश करने के कहने के बाद भी रिटनिंग अधिकारी ने उक्त लोगों से साज बाज होकर फर्जी टी०सी० को गलत आधार पर सही मानते हुये नाम निर्देशन पत्र को वैध ठहहराते हुए गीतादेवी को सरपंच पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिस पर किसी भी शिक्षा अधिकारी के प्रति

हस्ताार नहीं है और ना ही उक्त टी.सी पर मान्यता प्राप्त के क्रमांक व वर्ष व मोहर है............इत्यादि तथ्यों के परिवाद को न्यायालय द्वारा धारा 156(3) दं०प्र०सं० में पुलिस थाना मुण्डावर को भेजा गया, जिस पर पुलिस थाना द्वारा मुकदमा नंबर 264/2015 अंतर्गत धारा 218, 219, 420, 465, 467, 468, 471, 120 बी भा.द.सं. में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्ता गीता देवी के विरूद्ध धारा 420, 465, 467, 468, 471, भा.द.स. में आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय मुण्डावर में पेश किया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्ता के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण नियमित फौजदारी दर्ज रजिस्टर किया।

दौराने विचारण जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर के आदेश द्वारा हस्तगत प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय मुण्डावर से इस न्यायालय में अंतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्ता को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420, 465, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप पृथक रूप से विरचित कर सुनाये समझाये गये तो अभियुक्ता ने आरोपों को सुन समझकर इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

दौराने विचारण परिवादी मदन सिंह ने अभियुक्ता गीता देवी से धारा 420 भादंसं में राजीनामा पेश किया, जो न्यायालय द्वारा स्वीकार कर तस्दीक किया गया।

3. अभियोजन की ओर से अपनी कहानी के समर्थन में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न प्रकार से साक्ष्य प्रस्तुत की गयी।

(अ) अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये गये–

क्रम सं०	नाम गवाह	साक्ष्य
1.	पी०डब्ल्यू० 1 मदन सिंह	परिवादी/ताईद एफआइआर
2.	पी०डब्ल्यू० 2 राजेश कुमार	बयान 161 सीआरपीसी
3.	पी०डब्ल्यू० 3 सुशीला	बयान 161 सीआरपीसी
4.	पी०डब्ल्यू० 4 रामबाबू	बयान 161 सीआरपीसी
5.	पी०डब्ल्यू० 05 दीपक कुमार	बयान 161 सीआरपीसी
6.	पी०डब्ल्यू० 06 शिवलाल	बयान 161 सीआरपीसी
7.	पी०डब्ल्यू० 07 संगीता देवी	फर्द गिरफ्तारी
8.	पी०डब्ल्यू० 08 बृज मोहन	फर्द गिरफ्तारी
9.	पी०डब्ल्यू० 08 निरंजन पाल सिंह	अनुसंधानकर्ता
10.	पी०डब्ल्यू० 09 सूरजभान	फर्द जब्ती
11.	पी०डब्ल्यू० 10 बलवान	फर्द जब्ती

12.	पी०डब्ल्यू 11	लोकेश कानि०	बयान 161 सीआरपीसी
13.	पी०डब्ल्यू 12	अमित कुमार	अन्वेक्षण अधिकारी
14.	पी०डब्ल्यू 13	राजवीर सिंह	अन्वेक्षण अधिकारी
15.	पी०डब्ल्यू 14	राजेन्द्र कानि०	बयान 161 सीआरपीसी

(ब) अभियोजन की ओर अपनी कहानी के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये गये–

क्रम सं०	दस्तावेज
1.	परिवाद प्रदर्श पी 01
2.	बयान मदन सिंह प्रदर्श पी 02
3.	नाम निर्देशन पत्र प्रदर्श पी 03
4.	अण्डरटेकिंग गीता देवी प्रदर्श पी 04 फर्द जब्ती व असल इकरारनामा
5.	तहसीलदार मुण्डावर का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 05
6.	गीता देवी के स्थानांतरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 6
7	कार्यालय आदेश प्रदर्श पी 07
8	फर्द गिर० अभियुक्ता गीता देवी प्रदर्श पी 8
9	एफएसएल रिर्पोट 9 व 10
10.	एफएसएल जमा रसीद प्रदर्श पी 11 व 12
11.	फर्द जप्ती लिखित प्रदर्श पी 13
12	फर्द जप्ती मूल टी०सी० प्रदर्श पी 14
13	मूल टी०सी प्रदर्श पी 15
14	जिला मौलिक शिक्षा नारनौल का पत्र प्रदर्श पी 16
15	राजकीय उ०मा०वि० निजामपुर का पत्र प्रदर्श 17
16	जिला मौलिक शिक्षा नारनौल का नोटिस प्रदर्श पी 18
17	राजकीय उ०मा०वि० निजामपुर का पत्र प्रदर्श 19
18	सरपंच निजामपुर का पत्र प्रदर्श पी 20

4. साक्ष्य अभियोजन की समाप्ति पर अभियुक्ता के बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०स० लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्ता ने साक्ष्य अभियोजन को गलत होना बताया तथा स्वयं को झूठा फंसाये जाने के कथन किये। अभियुक्ता की ओर से साक्ष्य प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिरक्षा अवसर बंद किया गया।

5. बहस सुनी गयी। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन कहानी के तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए कथन किये कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान द्वारा घटना की ताईद की गई है। अभियुक्ता के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। अभियोजन कहानी संदेह से परे साबित है। अंत में अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्ता को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करते हुए उचित दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया।

इसके विपरित अधिवक्ता अभियुक्ता ने सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्कों का खंडन करते हुए दौराने बहस कथन किये कि अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान द्वारा घटना की ताईद नहीं की गई है। अभियुक्ता के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अभियोजन के समस्त गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। अभियुक्ता द्वारा असल टी0 सी में किसी प्रकार की कोई कांट छांट नहीं की गयी है। परिवादी का अभियुक्ता से राजीनामा भी हो गया है। अभियोजन अपनी कहानी संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अंत में अधिवक्ता अभियुक्ता ने अभियुक्ता को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

अभियुक्ता की ओर से अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

1. CRI. APP. NO. 9744 OF 2024(S.C)

   जुपाले लक्ष्मीकांथा रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश

2. CRI. APP. NO. 3977 OF 2025 (S.C)

   वंदना बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र

6. बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के न्यायपूर्ण विनिश्चिय हेतु न्यायालय को निम्न विचारणीय बिंदू पर विनिश्चिय किया जाना है–

1. क्या अभियुक्ता ने दिनांक 23.01.15 ग्राम पंचायत सोडावास तह० मुण्डावर में सरपंच पद के लिए चुनाव लडने हेतु छल करने के प्रयोजन से दुर्गादेवी नलवाटी हाई स्कूल निजामपुर हरि० की फर्जी टी०सी० की कूटरचना कर, नाम निर्देशन पत्र के साथ यह जानते हुए की टी०सी० कूटरचित है, का असल के रूप में उपयोग कर सरपंच पद का चुनाव लडकर, सरपंच पद का लाभांश प्राप्त किया ?

2. यदि हां तो उचित दंड क्या होगा ?

7. अभियोजन ने अपनी कहानी एवं उक्त विचारणीय बिंदू के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण किया जावे तो अभियोजन की ओर से अपनी कहानी के समर्थन में गवाह पी०ड० 01 मदनसिंह को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है जो कि प्रकरण का परिवादी है, जिसकी ओर से प्रस्तुत परिवाद पर हस्तगत प्रकरण दर्ज किया गया है। परिवादी पी०ड० 1

ने अपने सशपथ कथनों में यह कथन किये हैं कि दस साल पहले सरपंच का चुनाव सोढावास से लडा था। चुनाव हार गया था। उस समय उसके विरूद्ध गीता ने चुनाव लडा था, जिसकी आठवी की टीसी निजामपुर दुर्गा देवी नलवाटी हाई स्कूल से प्राप्त की थी। रिपोर्ट पुलिस थाना मुण्डावर पर दर्ज करी थी, जो प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा अभियोजन की ओर से की गयी जिरह में परिवादी पी०ड० 01 ने यह स्वीकार किया है कि उनका राजीनामा हो गया है तथा जिरह में यह भी स्वीकार किया है, जो टीसी प्राप्त की वह फर्जी थी या सही उसने तो गांव में सुना था।

इसी प्रकार से अभियोजन ने अपनी कहानी के समर्थन में अन्य गवाह पी०ड० 06 शिवलाल को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है, जो कि प्रकरण का महत्वपूर्ण गवाह है। उक्त गवाह सोडावास ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव के समय रिटर्निंग अधिकारी के पद पर तैनात रहा है तथा उसके समक्ष अभियुक्ता गीता देवी ने सरपंच चुनाव के पद हेतु अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कहानी की पुष्टि करते हुए सशपथ कथन किये हैं कि वह सन 2010 से सन् 2022 तक रा.उ.मा.वि अलावडा में लेक्चरर के पद पर कार्यरत था। सन् 2015 में ग्राम पंचायत सोडावास मे सरपंच के चुनाव के समय वह रिटर्निंग अधिकारी के पद पर कार्यरत था। दिनांक 23.01.2015 को सरपंच पद के चुनाव लडने के लिये योग्य उम्मीदवारों द्वारा अपने अपने आवेदन फॉर्म उसके समक्ष भरे गये थे। श्रीमती गीता देवी ने भी अपना आवदेन फार्म उसके सामने भरा था तथा अपना ओबीसी वर्ग का जाति प्रमाण पत्र व कक्षा आठवीं पास की टी सी की फोटो प्रति सलंग्न की थी तथा असल दस्तावेज जांच किये गये थे, जिसके आधार पर उसे उम्मीदवार घोषित किया गया था, जिसकी सरंपच पद पर जीत हुयी थी। जिस समय आवेदन फार्म भरा था उस समय उसके ओबीसी वर्ग व कक्षा आठवीं पास नही होने का किसी ने भी ऐतराज नहीं किया था और ना ही फर्जी दस्तावेज होने का ऐतराज किया था। वह गीता को पहले से नहीं जानता। नाम निर्देशन पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 03 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 04 है। ओबीसी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 05 व टी सी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 06 है। कार्यालय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 07 है जो शामिल पत्रावली है, जो गीता ने आवेदन के समय उसके समक्ष पेश किये थे। अभियुक्ता की ओर से उक्त गवाह से जिरह नहीं की गयी है। अभियुक्ता की ओर से गवाह से जिरह नही किये जाने पर गवाह पी०ड० 06 शिवलाल के मुख्य परीक्षणों का खण्डन नहीं होता है तथा उक्त गवाह के कथनों से इस बात की पुष्टि होती है कि अभियुक्ता गीता देवी ने सोडावास में ग्राम पंचायत के सरपंच पद का चुनाव लडा था तथा चुनाव के आवेदन पत्र के साथ 8 वीं की टी०सी० की प्रति प्रदर्श पी 6 पेश की थी।

इसी प्रकार से अभियोजन ने अपनी कहानी के समर्थन में गवाह पी०ड० 07 संगीता व गवाह पी०ड० 08 बृजमोहन को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है जो कि अभियुक्ता गीता देवी के गिरफतारी के संबंध में

कथन किये है। उक्त दोनों गवाहन ने सशपथ कथन किये हैं कि वह दिनांक 17.12.2019 को पुलिस थाना मुण्डावर पर सिपाही के पद पर कार्यरत थे। उस दिन मु.न 264/15 में आईओं निरंजनपाल के द्वारा उनके सामने मुलिजम गीता देवी को सोडावास चौकी पर गिरफतार किया था, जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 08 है, जिस पर उनके हस्ताक्षर है। अभियुक्ता की ओर से की गयी जिरह से फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 08 का खण्डन नहीं है, इसके अतिरिक्त उक्त दोनों गवाह मात्र औपचारिक गवाह हैं।

इसी प्रकार से अभियोजन ने अपनी कहानी के समर्थन में गवाह पी०ड० 09 सूरजभान व गवाह पी०ड० 10 बलवान सिंह को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है, जो कि अनुसंधान के दौरान अभियुकता की कूटरचित टी०सी० को जप्त करने के गवाह हैं। उक्त दोनों गवाहों ने सशपथ कथन किये हैं कि वर्ष 2016 में पुलिस ने उसके सामने गीतादेवी की मूल प्रति टीसी कक्षा 8 वीं पास की जप्त की थी। फर्द जप्ती प्रदर्श पी 14 है, जिस पर उनके हस्ताक्षर है। अभियुक्ता की ओर से की गयी जिरह में उक्त दोनों गवाहन ने जिरह में कथन किये है कि गीता देवी की टीसी उनके सामने जप्त नहीं की तथा पुलिस ने उनके खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे।

इसी से प्रकार अभियोजन ने अपनी कहानी के समर्थन में गवाह पी०ड० 13 राजवीर को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। उक्त गवाह ने सशपथ कथन किये हैं कि वह दिनांक 18.09.2015 को पीएस मुण्डावर पर एसएचओ के पद पर कार्यरत था। उस दिन माननीय न्यायालय मुण्डावर से एक इस्तगासा अंतर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी मदन सिंह बनाम गीता देवी वगैरहा का प्राप्त हुआ, जिस पर उसके द्वारा मुकदमा नंबर 264/2015 अंतर्गत धारा 420, 465, 467, 468, 471, 218, 219, 120 बी आईपीसी में दर्ज कर स्वयं तफ्तीश मशरूफ हुआ। इस्तगासा प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं व जी से एच कार्यवाही पुलिस अंकित है। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा गवाहान मुस्तगीस मदन सिंह, मुकुट सिंह के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये। नाम निर्देशित पत्र प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी 03 व 04 है। ओबीसी प्रमाण पत्र व स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 05 व 06 की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गयी व नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 07 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। अभियुक्ता की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने जिरह में कथन किया है कि उसके अनुसंधान के समय तक मुलजिमा के विरूद्ध अपराध प्रमाणित नहीं पाया था, क्योकि पत्रावली जैर अनुसंधान थी। उक्त गवाह के मुख्य परीक्षणों का अवलोकन किया जावे तो उक्त गवाह के कथनों से अभियुक्ता गीता देवी द्वारा सरपंच चुनाव के दौरान प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज टी0 सी0 जो प्रदर्श 3, 4 व 6 है कि पुष्टि होती है।

इसी प्रकार से अभियोजन ने अपनी कहानी के समर्थन में गवाह पी०ड० 12 अमित कुमार को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षणों मे सशपथ कथन किये है कि वह दिनांक 26.09.2017 को पुलिस थाना मुण्डावर में एसएचओ के पद पर तैनात था। उस दिन अभियोग संख्या 264/2015 की पत्रावली का अनुसंधानकर्ता श्री राजबीर सिंह एसआई का स्थानान्तरण होने से उक्त

प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान उसके द्वारा किया गया था। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा श्रीमती शारदा देवी से उसके गांव गावडी जाट हरियाणा में उसके पति द्वारा लिखित हस्तलिखित पत्र जरिये फर्द प्रदर्श पी 13 जब्त किया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है व ई से एफ शारदा देवी के हस्ताक्षर हैं। अभियुक्ता की ओर से की गयी जिरह से गवाह के मुख्य परीक्षण का खण्डन नहीं होता तथा अभियोजन कहानी के अनुसार उक्त गवाह मात्र औपचारिक गवाह है।

इसी प्रकार से अभियोजन ने अपनी कहानी के समर्थन में अन्य गवाह पी0 ड0 08 निरंजनपाल सिंह को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है जो कि प्रकरण का अनुसंधानकर्ता है तथा महत्वपूर्ण गवाह है। उक्त गवाह ने अभियोजन कहानी की पुष्टि करते हुए अपने मुख्य परीक्षणों में सशपथ कथन किये हैं कि वह दिनांक 17.12.2019 को थानाधिकारी, मुण्डावर के पद पर तैनात था। थाना मुण्डावर पर दर्ज अभियोग संख्या 264/15 धारा 218, 219, 420, 465, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी का अनुसंधान उससे पूर्व में रहे अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान कर श्रीमति गीता देवी पत्नी सूरजभान निवासी सोडावास के खिलाफ सरपंच चुनाव के दौरान 8 वीं पास की कूटरचित टीसी के माध्यम से सरपंच चुनाव लडकर चुनाव जीतना पाया गया। उक्त आरोपी गीतादेवी द्वारा चुनावों के दौरान पेश की गयी 8 वीं पास की टीसी की पूर्व के अनुसंधान अधिकारियो द्वारा एफएसएल जांच करवायी गयी तो एफएसएल द्वारा अंकित किया गया कि it has been observed that in the blue enclose disputed porten marked as q6 the original printed digits which read as 200--- has been deciphered below the existing ink digits 1987-88 उक्त टीसी प्रमाण पत्र में कांट छांट कर आरोपिया द्वारा जानबुझकर ऐसे संस्थान की टीसी पेश की गयी, जो हरियाणा राज्य में वर्तमान में अस्तीत्व में नहीं है ना ही संचालन जीवित है, ना ही उक्त टीसी जारी करता स्कूल के कहीं रजिस्टर्ड होने का प्रमाण ही है। आरोपिया द्वारा उक्त कृत्य अपराध धारा 420, 465, 467, 468, 471 आईपीसी में प्रमाणित मानते हुए गिरफतारी पेण्डिग रखी थी। उसके द्वारा थाना मुण्डावर पर पदभार ग्रहण करने पर उक्त पत्रावली का गहन अध्ययन कर पूर्व के अनुसंधान अधिकारी द्वारा गीता देवी के खिलाफ उपरोक्त धाराओं में आरोप प्रमाणित माना, जिसके आधार पर दिनांक 17.12.2019 को आरोपियान गीता देवी को उक्त प्रकरण में गिरफतार किया गया। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 08 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है, जी से एच गीता के हस्ताक्षर है, आई से जे उसके पति के हस्ताक्षर हैं। एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी 09, 10 है जो शामिल पत्रावली है। प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 11 व 12 है जो शामिल पत्रावली है। बाद अनुसंधान उसके द्वारा मुलजिम गीता देवी के विरूद्व धारा 420, 465, 467, 468, 471 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर चार्जशीट पेश करने से पूर्व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में फर्द जप्ती एक पत्र लिखित द्वारा स्व० श्री गोवर्धनदास शामिल पत्रावली है जो प्रदर्श पी 13 है। फर्द जप्ती एक मूल प्रति टीसी कक्षा 8 वीं पास गीता देवी प्रदर्श पी 14 जो शामिल पत्रावली है। गवाहान मदनसिह, मुकुट, रामबाबू, सुशीला देवी, राजेश, दीपक,

शारदा, शिवलाल के बयान शामिल पत्रावली है। मूल टीसी प्रदर्श पी 15 व लिखित प्रदर्श 16 शामिल पत्रावली है। चुनाव के दौरान आरोपी द्वारा पेश किया गया नाम निर्देशन पत्र प्रदर्श पी 03,04,05,06,07 है, जो शामिल पत्रावली है। नोटिस प्रिसिंपल सरकारी उच्च माध्यमिक विधालय निजामपुर प्रदर्श पी 17 है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नोटिस प्रदर्श पी 18 है। जबाब प्रदर्श पी 19 है व सरपंच की रिपोर्ट प्रदर्श पी 20 जो शामिल पत्रावली है। बाद अवलोकन चार्जशीट नंबर 481/19 किता कर न्यायालय में पेश की। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त गवाह से अभियुक्ता की ओर से की गयी जिरह का अवलोकन किया जावे तो गवाह ने जिरह में कथन किये हैं कि उसे प्रकरण की जांच किस तारीख को मिली तारिख याद नहीं है। थाने में तैनात हुआ उस समय मिली थी। टीसी पूर्व में जप्त की जा चुकी थी। गवाह ने जिरह में यह कथन किया है कि टीसी विवादित थी, जिस पर प्रिंट 2000 था, जिसको पैन की स्याही से काटकर 1997–98 अंकित थी। जिरह में गवाह ने कथन किया है कि उसके द्वारा अनुसंधान के दौरान किस संस्थान की टीसी जारी हुयी थी उसका अनुसंधान किया था, परन्तु ना तो टीसी जारी होने की दिनांक को संस्था का अस्तित्व मिला और ना ही संस्थान का रिकॉर्ड मिला। गवाह से अभियुक्ता की ओर से पूछे गये सुझावात्मक प्रश्न में गवाह ने कथन किया है कि एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर टीसी में कांटछांट हुयी थी तथा एफएसएल रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि कांटछांट हुयी है। अभियुक्ता की ओर से की गयी जिरह से गवाह के मुख्य परीक्षणों एवं अभियोजन कहानी का खंडन नहीं होता है।

इसी प्रकार से अभियोजन ने अपनी कहानी के समर्थन में अन्य गवाह पी०ड० 02 सुशीला को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। उक्त गवाह ने सशपथ कथन किये हैं कि वह 2016 में ग्राम निजामपुर की सरपंच थी। उसकी जानकारी के अनुसार कई साल पहले निजामपुर में नलवाटी हाईस्कूल चलती थी, जो कई वर्ष पूर्व बन्द हो चुकी है। वर्तमान में स्कूल संचालित नहीं है, उसकी जगह पर रिहायसी मकान बन चुके है। अभियुक्ता की ओर से उक्त गवाह से जिरह नहीं की गयी है तथा उक्त गवाह मात्र औपचारिक गवाह है।

इसी प्रकार से अभियोजन ने अपनी कहानी के समर्थन में अन्य गवाह पी०ड० 03 गवाह राजेश कुमार को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किये हैं कि उनके गांव के पण्डित जी गोरधन शर्मा ने निजामपुर में नलवाटी हाई स्कूल के नाम से स्कूल खोल रखी थी। कुछ समय बाद स्कूल बन्द हो गयी। गोरधन की मौत हो चुकी है। जहां पर वो स्कूल चलाता था, उस जगह रिहायशी मकान बना हुआ है। पुलिस ने जब उसके बयान लिये थे। उस समय वो सरपंच था। उसने पुलिस को बताया था कि स्कूल काफी समय से बन्द है। अभियुक्ता की ओर से उक्त गवाह से जिरह नहीं की गयी है तथा उक्त गवाह मात्र औपचारिक गवाह है।

इसी प्रकार से अभियोजन ने अपनी कहानी के समर्थन में अन्य गवाह पी०ड० 04 गवाह रामबाबू को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किये हैं कि दिनांक 26.05.2016 को रा.व रि. मा. विधालय निजामपुर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत था। दिनांक

21.10.2015 को श्रीमान खण्ड शिक्षाधिकारी नारनौल के आदेशानुसार उसने श्रीमति दुर्गा देवी, नालवटी हाई स्कूल निजामपुर व स्कूल से जारी वर्ष 1988 माह 31 मार्च 1988 के कक्षा आठवीं पास की टीसी विधार्थी गीता देवी की तस्दीक हेतू पत्र प्राप्त हुआ था। उक्त विद्यालय पिछले 20 वर्षो से अस्तित्व में नहीं है और ना ही इसका कोई रिकॉर्ड है। अभियुक्ता की ओर से उक्त गवाह से जिरह नहीं की गयी है तथा उक्त गवाह मात्र औपचारिक गवाह है।

इसी प्रकार से अभियोजन ने अपनी कहानी के समर्थन में अन्य गवाह पी०ड० 05 गवाह दीपक को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किये हैं कि उसके पिता श्री गोवर्धन दास शर्मा ने काफी साल पहले ग्राम निजामपुर में श्रीमति दुर्गा देवी नलवाटी हाई स्कूल के नाम से संचालित की थी, जिसके प्रधानाचार्य उसे पिता जी थे। उक्त स्कूल सन 1989 में बंद हो गयी थी। उस समय उसकी उम्र 10–12 साल थी। उसके पिता की मृत्यु 1999 में हुयी थी। उक्त स्कूल का किसी प्रकार का पुराना रिकॉर्ड उनके पास नही था और ना ही किसी प्रकार की रिकॉर्ड के संबंध में जानकारी है। अभियुक्ता की ओर से उक्त गवाह से जिरह नहीं की गयी है तथा उक्त गवाह मात्र औपचारिक गवाह है।

इसी प्रकार से अभियोजन ने अपनी कहानी के समर्थन में अन्य गवाह पी०ड० 11 लोकेश को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किये हैं कि वह दिनांक 26.09.2017 को पीएस मुण्डावर पर सिपाही के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नंबर 264/2015 में अनुसंधाान अधिकारी श्री अमित चौधरी के द्वारा उसके व सिपाही राजेन्द्र के समक्ष स्व. गोर्वधन दास का एक लिखित पत्र जो की उसकी पत्नी श्रीमती शारदा के द्वारा दिया गया था, को उसके समक्ष जरिये फर्द जप्त किया गया था । फर्द जप्ती प्रदर्श पी 13 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। लिखित प्रदर्श पी 16 है। अभियुक्ता की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने कथन किया है कि लिखित पत्र अनुसंधान अधिकारी ने शारदा से प्राप्त किया था। जो लेटर स्कूल के लेटरपेड पर लिखा हुआ था, जिस पर दो जगह दिनांक डली हुयी थी। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त गवाह से अभियुकता की ओर से की गयी जिरह का अवलोकन किया जावे तो जिरह से फर्द जप्ती प्रदर्श पी 13 व लिखित प्रदर्श पी 16 का खण्डन नहीं होता है। अभियोजन कहानी के अनुसार उक्त गवाह भी मात्र औपचारिक गवाह है।

इसी प्रकार से अभियोजन ने अपनी कहानी के समर्थन में अन्य गवाह पी0 ड 0 14 राजेन्द्र को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षणों में सशपथ कथन किये हैं कि वह दिनांक 26.09.2017 को पीएस मुण्डावर पर सिपाही के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नंबर 264/2015 में आयु अमित चैधरी के द्वारा उसके व गवाह लोकेश कानि के समक्ष एक पत्र लिखित द्वारा स्व श्री गोर्वधन दास पेशकर्ता शारदा देवी जब्त किया था। फर्द जब्ती प्रदर्ष पी 13 है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं जो लिखित प्रदर्श पी 16 जो शामिल पत्रावली है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त गवाह से अभियुकता

की ओर से की गयी जिरह का अवलोकन किया जावें तो जिरह से फर्द जप्ती प्रदर्ष पी 13 व लिखित प्रदर्ष पी 16 का खण्डन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त उक्त गवाह मात्र औपचारिक गवाह है।

8. इस प्रकार से अभियोजन की ओर से उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किया जावे तो अभियोजन कहानी के अनुसार न्यायालय को इस विचारणीय बिंदू पर विनिश्चिय किया जाना है कि क्या अभियुक्ता गीता देवी ने दिनांक 23.01.15 ग्राम पंचायत सोडावास तह० मुण्डावर में सरपंच पद के लिए चुनाव लडने हेतु छल करने के प्रयोजन से दुर्गादेवी नलवाटी हाई स्कूल निजामपुर हरि० की फर्जी टी०सी० की कूटरचना कर, नाम निर्देशन पत्र के साथ यह जानते हुए की टी०सी० कूटरचित है, का असल के रूप में उपयोग कर सरपंच पद का चुनाव लडकर, सरपंच पद का लाभांश प्राप्त किया। इस संदर्भ में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह मदन सिंह पी०ड० 1 जो कि प्रकरण का परिवादी है, के मुख्य कथनों का विवेचन विश्लेषण किया जावे तो उक्त गवाह के कथनों से इस बात की पुष्टि होती है कि उसने सोडावास में सरपंच का चुनाव लडा था जो कि हार गया था तथा उसके विरूद्ध गीता देवी ने चुनाव लडा था, जिसने 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण की टी०सी निजामपुर दुर्गा देवी हाई स्कूल से प्राप्त की थी। चूंकि अभियोजन द्वारा उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा गवाह ने जिरह में स्वीकार किया है उसका आपस में राजीनामा हो गया है। चूंकि अभियोजन कहानी के अनुसार उक्त गवाह परिवादी रहा है, जिसने उसकी ओर से प्रस्तुत परिवाद प्रदर्श पी 1 पर अभियुक्ता गीता देवी पर यह आरोप लगाया है कि उसके द्वारा 8 वीं उत्तीर्ण की फर्जी टी०सी सरपंच चुनाव में उपयोग की है। परिवादी पी०ड० 1 मदनसिंह की ओर से प्रस्तुत परिवाद प्रदर्श पी 1 में अंकित तथ्यों के संबंध में अभियुक्ता की ओर से कोई जिरह नहीं की गयी है, जिससे परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद प्रदर्श पी 1 का खंडन नहीं होता है। चूंकि परिवादी के कथनों से इस बात की तो पुष्टि होती है कि अभियुक्ता गीता देवी ने उसके सामने चुनाव लडा था, जिसने चुनाव के दौरान 8 वीं उत्तीर्ण की टी०सी दुर्गा देवी नलवाटी हाई स्कूल से प्राप्त की थी, का उपयोग किया था। अभियुक्ता गीता द्वारा सरपंच के चुनाव में जो 8 वीं उत्तीर्ण की जो टी0 सी उपयोग की गयी है वह कूटरचित है या नहीं है, यह अनुसंधान का विषय है। इसी प्रकार से अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य गवाह पी०ड० 6 शिवलाल के कथनों का विवेचन विश्लेषण किया जावे तो अभियोजन का उक्त गवाह महत्वपूर्ण गवाह है, जो कि 2015 ग्राम पंचायत सोडावास में सरपंच चुनाव के समय में रिटर्निंग अधिकारी रहा है, जिसके समक्ष अभियुक्ता गीता देवी ने सरपंच के चुनाव हेतु अपना नाम आवेदन पत्र पेश किया था, जिसके साथ विवादित टी०सी 8 वीं उत्तीर्ण पेश की थी। अभियुक्ता की ओर से उक्त गवाह से जिरह भी नहीं की गयी है, जिससे गवाह के मुख्य परीक्षण अखंडनीय रहे हैं। गवाह पी०ड० 6 शिवलाल के कथनों से अभियोजन कहानी के अनुसार इस बात की पुष्टि होती है कि अभियुक्ता गीता देवी ने सरपंच के चुनाव नाम निर्देशन पत्र के साथ 8 वी उत्तीर्ण टी०सी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 6 पेश की थी, जो कि श्रीमती दुर्गा देवी नलवाटी हाई स्कूल निजामपुर से जारी हुयी थी। उक्त गवाह के कथनों से अभियुक्ता का सरपंच के चुनाव में प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति प्रदर्श पी 3, शपथ पत्र प्रदर्श पी

4 तथा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत 8 वी उत्तीर्ण की टी०सी की पुष्टि होती है। इसी प्रकार से अभियोजन की ओर से अन्य गवाह पी०ड० 2 सुशीला, पी०ड० 3 राजेश कुमार, पी०ड० 4 रामबाबु व पी०ड० 5 दीपक को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। चूंकि उक्त गवाहों से अभियुक्ता की ओर से कोई जिरह नहीं की गयी है तथा उक्त गवाह के मुख्य परीक्षणों में इस बात की पुष्टि होती है कि निजामपुर नलवाटी हाई स्कूल संचालित की थी वर्तमान में बंद हो चुका है तथा उसके संचालक की मृत्यु हो चुकी है। उक्त सभी गवाहों से अभियुक्ता की ओर से की जिरह नहीं करने पर गवाहों के मुख्य परीक्षण अखंडनीय रहे हैं। इसके अतिरिक्त उक्त सभी गवाह औपचारिक गवाह मात्र हैं। इसी प्रकार से अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य गवाह पी०ड० 7 श्रीमती संगीता, पी०ड० 8 बृजमोहन को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है, जो औपचारिक गवाह है। उक्त गवाहों के कथनों से इस बात की पुष्टि होती है कि अनुसंधान के दौरान अनुसंधानकर्ता ने अभियुक्ता गीता देवी की जरिए फर्द गिर० प्रदर्श पी 8 गिर० किया था। इसी प्रकार से अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य गवाह पी०ड० 11 लोकेश व पी०ड० 14 राजेन्द्र को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। उक्त गवाह भी औपचारिक गवाह मात्र है जो कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह पी०ड० 12 अमित कुमार द्वारा अनुसंधान के दौरान श्रीमती संगीता देवी से उसके पति के लिखित को जरिए प्रदर्श पी 13 जप्त किया गया था। उक्त गवाह के कथनों से फर्द जप्ती प्रदर्श पी 13 व संगीता देवी से जप्त लिखित प्रदर्श पी 16 की पुष्टि होती है। गवाह पी०ड० 11 लोकेश, पी०ड० 12 अमित कुमार व पी०ड० 14 राजेन्द्र औपचारिक गवाह मात्र हैं। इसी प्रकार से अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य गवाह पी०ड० 9 सूरजभान व पी०ड० 10 बलवान को साक्ष्य में प्रसतुत किया गया है। उक्त गवाहों के साक्ष्यों का विवेचन विश्लेषण किया जावे तो उक्त गवाहों के समक्ष अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्ता गीता देवी से मूल टी०सी 8 वीं पास की जरिए फर्द जप्ती प्रदर्श पी 14 जप्त की है। चूंकि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त गवाह पी०ड० 9 सूरजभान व पी०ड० 10 बलवान सिंह से अभियुक्ता की ओर से की गयी जिरह में गवाहों ने कथन किये हैं कि गीता देवी की टी0 सी उसके सामने जप्त नहीं की तथा उनके पुलिस ने खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। इस संदर्भ में न्यायालय का यह अभिमत है कि उक्त गवाहों ने अपने मुख्य कथनों में गीता देवी की मूल टी०सी० कक्षा 8 वीं को जप्त करना बताया है तथा फर्द जप्ती प्रदर्श पी 14 पर दोनों गवाहों ने ए से बी व सी से डी अपने हस्ताक्षर होना बताया है। अभियुक्ता की ओर से गवाह के मुख्य परीक्षणों का कोई खंडन नहीं करवाया गया है। इसके अतिरिक्त फर्द जप्ती प्रदर्श पी 14 के द्वारा असल मूल टी०सी को जप्त किया गया है जिसे अभियोजन द्वारा प्रदर्श पी 15 के रूप में प्रदर्शित भी करवाया गया है। ऐसी स्थिति में जिरह में गवाहों को यह कथन है कि उनके खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है तथा ना ही फर्द जप्ती प्रदर्श पी 14 का किसी प्रकार से खंडन होता है। इसी प्रकार से अभियोजन की ओर से अन्य गवाह पी०ड० 13 राजेश को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है जो कि प्रकरण का अनुसंधानकर्ता है। उक्त गवाह के कथनों का विवेचन विश्लेषण किया जावे तो उक्त गवाह के कथनों से परिवादी पी०ड० 1 मदन सिंह की ओर से

प्रस्तुत परिवाद प्रदर्श पी 1 की पुष्टि की है तथा अनुसंधान के दौरान अभियुक्ता गीता देवी द्वारा सरपंच चुनाव हेतु प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र व टी0 सी प्रदर्श पी 3 ,4, व 6 की पुष्टि करते हुए सशपथ कथन किये है। उक्त गवाह से अभियुक्त से की गयी जिरह में गवाह ने स्वीकार किया है कि उसके अनुसंधान के दौरान तक मुलजिम के विरूद्ध अपराध प्रमाणित नहीं पाया गया था, जिस बाबत गवाह ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि अनुसंधान जैर अनुसंधान था। गवाह पी०ड० 13 राजेश के समर्थन में अभियोजन द्वारा गवाह पी०ड० 6 शिवलाल को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है जो कि सोडावास ग्राम पंचायत के चुनाव में रिटर्निग अधिकारी रहा है, जिसके कथनों से अभियुक्ता गीता देवी के आवेदन पत्र व उसके साथ प्रस्तुत 8 वीं की टी०सी की प्रति की पुष्टि होती है। गवाह पी०ड० 6 शिवलाल व पी०ड० 13 राजवीर के कथनों से इस बात की पुष्टि होती है कि अभियुक्ता गीता देवी ने ग्राम पंचायत के चुनाव में आवेदन पत्र के साथ 8 वीं उत्तीर्ण की टी०सी जो दुर्गा देवी नलवाटी हाई स्कूल द्वारा जारी की हुयी थी, को पेश किया था। अभियुक्ता द्वारा जो 8 वीं उत्तीर्ण की टी०सी प्रदर्श पी 15 सरपंच चुनाव के पद हेतु नाम निर्देशन पत्र के साथ पेश की थी, वह कूटरचित टी०सी है या नहीं इस संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह निरंजनपाल पी०ड० 8 की साक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके द्वारा प्रकरण का अनुसंधान किया गया था। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह अनुसंधानकर्ता पी०ड० 8 निरंजनपाल सिंह के कथनों का विवेचन विश्लेषण किया जावे तो उक्त गवाह ने अभियोजन कहानी की पुष्टि करते हुए मुख्य परीक्षणों में कथन किये है कि दिनांक 17.12.2019 को थानाधिकारी मुण्डावर के पद पर तैनात था। थाना मुण्डावर पर दर्ज अभियोग संख्या 264/15 धारा 218, 219, 420, 465, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी का अनुसंधान उससे पूर्व में रहे अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान कर श्रीमति गीता देवी पत्नी सूरजभान निवासी सोडावास के खिलाफ सरपंच चुनाव के दौरान 8 वीं पास की कूटरचित टीसी के माध्यम से सरपंच चुनाव लडकर चुनाव जीतना पाया गया। उक्त आरोपी गीतादेवी द्वारा चुनावों के दौरान पेश की गयी 8 वीं पास की टीसी की पूर्व के अनुसंधान अधिकारियो द्वारा एफएसएल जांच करवायी गयी तो एफएसएल द्वारा अंकित किया गया कि it has been observed that in the blue enclose disputed porten marked as **q6** the original printed digits which read as **200---** has been deciphered below the existing ink digits **1987-88** उक्त टीसी प्रमाण पत्र में कांट छांट कर आरोपिया द्वारा जानबुझकर ऐसे संस्थान की टीसी पेश की गयी जो हरियाणा राज्य मे वर्तमान में अस्तीत्व में नहीं है ना ही संचालन जीवित है ना ही उक्त टीसी जारी करता स्कूल के कहीं रजिस्टर्ड होने का प्रमाण ही है। बाद अनुसंधान उसके द्वारा मुलजिम गीता देवी के विरूद्ध धारा 420, 465, 467, 468, 471 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर चार्जशीट पेश करने से पूर्व पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकार से अनुसंधान अधिकारी ने एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 के आधार पर स्पष्ट कहा है कि मूल टीसी प्रदर्श पी 15 कूटरचित है, जिसको अभियुक्ता गीता देवी ने सरपंच के चुनाव में उपयोग किया था। अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्ता द्वारा चुनाव के दौरान आरोपी द्वारा

पेश किया नाम निर्देशन पत्र प्रदर्श पी 03,04,05,06,07 की पुष्टि की है। अभियुक्ता की ओर से गवाह पी०ड० 8 निरंजनपाल से की गयी जिरह में अनुसंधान अधिकारी ने यह कथन किया है कि टी०सी विवादित थी जिस पर प्रिंट 2000 था जिसको पेन से कांटछांट कर 97–98 किया हुआ है तथा जिरह में गवाह ने यह भी कथन किया है कि अनुसंधान के दौरान जिस अनुसंधान से टी०सी जारी हुयी थी उसका अनुसंधान किया था, परंतु न तो टी०सी जारी हुयी दिनांक से ना ही संस्थान का अस्तीत्व मिला ना ही संस्थान का रिकार्ड मिला ना ही संस्था के संचालन करने वाले मिले। टी०सी में कांटछांट एफएसएल जांच से पता चला है। एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार टी०सी में कांटछांट हुयी है इस प्रकार से प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए प्रकरण में महत्वपूर्ण दस्तावेज टी०सी है, जिसका अभियुक्ता ने ग्राम पंचासत सरपंच चुनाव के नाम निर्देशन पत्र प्रदर्श पी 3 के साथ उपयोग किया था, जिसको अभियोजन की ओर से प्रदर्श पी 6 प्रमाणित प्रति व असल टी०सी प्रदर्श पी 15 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 का अवलोकन करने से टी0 सी प्रदर्श पी 15 में क्यू 6 स्थान पर "200" को काटकर "1987–88" किया गया है। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 में टी०सी प्रदर्श पी 15 के बारे में यह राय दी गयी है कि "it has been observed that in the blue enclose disputed porten marked as **q6** the original printed digits which read as "**200-------**" has been deciphered below the existing ink digits "**1987-88**" इसी प्रकार से एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 के अनुसार मूल टी०सी प्रदर्श पी 15 में क्यू स्थान पर अंकित "200" के स्थान पर "1987–88" किया गया है, जिस बाबत अभियोजन का कथन है कि अभियुक्ता द्वारा मूल टी०सी प्रदर्श पी 15 को अभियुक्ता गीता द्वारा को "200" कांटछांट कर "1987–88" किया गया गया है। टी०सी प्रदर्श पी 15 के संबंध में अभियुक्ता के यह कथन रहे हैं कि उसके द्वारा संबंधित संस्थान से टी०सी प्राप्त की गयी थी। इस संबंध में न्यायालय का यह अभिमत है कि यदि अभियुक्ता द्वारा टी०सी प्रदर्श पी 15 में दिनांक को संबंधित संस्थान से टी०सी प्राप्त की जाती तो निश्चित रूप से टी०सी पर जो शैक्षणिक सत्र अंकित होता है, वह या तो "198....." या 1987–88 होता या 1999 से पूर्व का कोई भी अंक होता, जबकि टी०सी प्रदर्श पी 15 पर जो शैक्षणिक सत्र "200" लिखा है, जिससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि उक्त टी0 सी प्रमाण पत्र सन 2000 के पश्चात के शैक्षणिक सत्र के उपयोग हेतु प्रिंटेड करवाया गया है, जबकि अभियुक्ता का यह कथन है कि उसके द्वारा टी0 सी 31 मार्च 1988 को प्राप्त की है, जो किसी प्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त टी0 सी प्रदर्श पी 15 पर टीसी जारी करने वाली संस्थान श्रीमती दुर्गा देवी नलवाटी हाई स्कूल का कोई पंजीयन क्रमांक आदि भी अंकित नहीं है। इसी प्रकार से अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह पी0 ड 8 निरंजनपाल व एफएसलए जमा रसीद प्रदर्श पी 11 व 12 तथा एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 के अनुसार अभियुक्ता द्वारा सरपंच चुनाव के दौरान आवेदन पत्र के साथ जो टी0 सी प्रस्तुत की गयी है वह कूटरचित होना पाया है,

जिसका अभियुक्ता ने छल के प्रयोजन से सरपंच चुनाव में कूटरचित टी0 सी का उपयोग किया जाना प्रकट होता है।

9. इस प्रकार से अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन विश्लेषण किया जावे तो अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों से इस बात की पुष्टि होती है कि अभियुक्ता ने दिनांक 23.01.15 ग्राम पंचायत सोडावास तह० मुण्डावर में सरपंच पद के लिए चुनाव लडने हेतु छल करने के प्रयोजन से दुर्गादेवी नलवाटी हाई स्कूल निजामपुर हरि० की फर्जी टी०सी० की कूटरचना कर, नाम निर्देशन पत्र के साथ यह जानते हुए की टी० सी० कूटरचित है, का असल के रूप में उपयोग कर सरपंच पद का चुनाव लडा। चूंकि अभियोजन की ओर से अभियुक्ता पर कूटरचित 8 वीं की टी०सी का सरपंच के चुनाव में उपयोग करने का आरोप है। कूटरचित अंकतालिका धारा 467 भादसं के अपराध के लिए मूल्यवान प्रतिभूति की श्रेणी में आना नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से अभियोजन अपनी कहानी संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्ता ने दिनांक 23.01.15 ग्राम पंचायत सोडावास तह० मुण्डावर में सरपंच पद के लिए चुनाव लडने हेतु छल करने के प्रयोजन से दुर्गादेवी नलवाटी हाई स्कूल निजामपुर हरि० की फर्जी टी०सी० की कूटरचना कर, नाम निर्देशन पत्र के साथ यह जानते हुए की टी०सी० कूटरचित है, का असल के रूप में उपयोग कर चुनाव लडा, जिससे अभियुक्ता गीता देवी के विरूद्ध धारा 465, 468, 471 भादसं का अपराध प्रमाणित होने पर उक्त् अपराधों में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है। अभियुक्ता गीता देवी का परिवादी से धारा 420 भादसं में राजीनामा हो जाने से अभियुक्ता को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अपराध में बरूए राजीनामा दोषमुक्त किया जाना तथा अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 467 भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित नहीं होने पर उक्त अपराध में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

: <u>आदेश</u> :

10. अतः अभियुक्ता गीता देवी पत्नी सूरजभान, निवासी– सोडावास थाना मुण्डावर, जिला–खैरथल तिजारा को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अपराध में बरूए राजीनामा दोषमुक्त किया जाता है तथा आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 467 भादसं में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्ता गीता देवी को आरोपित अपराध अंतर्गत 465, 468, 471 भादसं में दोषसिद्ध किया जाता है।

(अमर सिंह खारडिया)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा

सजा के प्रश्न पर सुना गया:–

11. सजा के प्रश्न पर बहस सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्ता के तर्क रहे हैं कि अभियुक्ता का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्ता ग्रामीण परिवेश की महिला है। अभियुक्ता का परिवादी से धारा 420 भादंसं के अपराध में राजीनामा हो गया है। अभियुक्ता 2020 से अन्वीक्षा का सामना कर रही है तथा अभियुक्ता के विरूद्ध पूर्व में कोई दोषसिद्धी का रिकॉर्ड नहीं है। अंत में अधिवक्ता ने अभियुक्ता को परीवीक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्ता को उचित कारावास से दण्ड़ित किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से अभियुक्ता पर कूटरचित 8 वीं की टी०सी० प्रमाण पत्र को पंचायत चुनाव में आवेदन पत्र के साथ उपयोग कर सरपंच का चुनाव लडने का आरोप है। यह बात सही है कि अभियुक्ता का धारा 420 भादंसं के अपराध में परिवादी से राजीनामा हो गया है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में जो अपराध अभियुक्ता के द्वारा कारित किया गया है वह राज्य सरकार के विरूद्ध अपराध है तथा गंभीर प्रकृति का अपराध है। वर्तमान में ऐसे अपराधों में वृद्धि हो रही है। अतः अपराध की गंभीरता एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अभियुक्ता को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

: <u>दण्डादेश</u> :

12. अतः उपरोक्तानुसार अभियुक्ता गीता देवी पत्नी सूरजभान, निवासी– सोडावास थाना मुण्डावर, जिला–खैरथल तिजारा को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420 भारतीय दंड संहिता में बरूए राजीनामा दोषमुक्त किया जाता है तथा आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 467 भादंसं में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्ता गीता देवी को आरोपित अपराध अंतर्गत 465, 468, 471 भादंसं में दोषसिद्ध करते हुए निम्नप्रकार से दंडित किया जाता है–

क्रम सं०	**दोषसिद्ध अपराध अंतर्गत धारा**	**सजा**	**जुर्माना**	**अदम अदायगी जुर्माना कारावास**
1.	धारा 465 भा०दं०सं०	2 वर्ष का साधारण कारावास	2,000 रूपये	1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।
2.	धारा 468 भा०दं०सं०	3 वर्ष का साधारण कारावास	5,000 रूपये	2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।
3.	धारा 471 भा०दं०सं०	2 वर्ष का साधारण कारावास	2,000 रूपये	1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

अभियुक्ता द्वारा पूर्व में पुलिस अभिरक्षा एवं न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गयी निरोध की अवधि धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मुजरा किये जाने योग्य होगी। अभियुक्ता के इस न्यायालय में नियमित उपस्थिती बाबत जमानत मुचलके निरस्त समझे जावें। अभियुक्ता का सजा वारंट पृथक से बनाया जावे। अभियुक्ता को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे।

(अमर सिंह खारडिया)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य
न्यायिक मजि० मुण्डावर, जिला खैरथल तिजारा

13. निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक **18.06.2026** को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया व हस्ताक्षरित कर मुद्रांकित किया गया।

(अमर सिंह खारडिया)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य
न्यायिक मजि० मुण्डावर, जिला खैरथल तिजारा